न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2362–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–7–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार ग्वालियर प्रकरण कमांक 28/2012–13/अपील.

1– धुन्धी पटेल पुत्र रणधीर सिंह
2– भूरीबाई बेवा रणधीर सिंह
3– भईया पुत्र रणधीर सिंह
4– राजाबेटी पत्नी श्री कृष्ण
निवासीगण ग्राम खेरिया मिर्धा
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– आनंद सिंह पुत्र डी.एस. सोलंकी
निवासी 629, गोविंदपुरी, ग्वालियर
2– देवप्रकाश पुत्र पन्नालाल अग्रवाल
3– श्रीमती मृदुला पत्नी देवप्रकाश
निवासीगण बी.एच. 12 दीनदयाल नगर, ग्वालियर
4– सर्वसाधारण कृषकगण ग्राम खेरिया मिर्धा
पटवारी हल्का नम्बर 109 रा.नि. बगगांव
तहसील व जिला ग्वालियर
5– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिषक, अनावेदक क. 1 से 4
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक क. 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, मुरार ग्वालियर के आदेश दिनांक 26–6–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरार ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/2012–13/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को पक्षकार बना लिया गया था, तब पूर्व में की गई समस्त एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करना थी, परन्तु ऐसा नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि जब आवेदकगण को पूर्व में की गई कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, तब पूर्व की कार्यवाही निरस्त करना चाहिए नहीं तो आवेदकगण को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण विचारण न्यायालय में पक्षकार थे, परन्तु जानबूझकर अनावेदकगण द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में की गई समस्त कार्यवाही में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर देना चाहिए । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई पूर्व की समस्त कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन

पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब क्षमा किया गया है, आवेदकगण पूर्व में किये गये विलम्ब क्षमा में सुनवाई का अवसर चाहते हैं, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि यदि आवेदकगण बटांकन की कार्यवाही से प्रभावित हैं, तब वे उक्त कार्यवाही के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध कोई उपचार नहीं चाहा गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को पक्षकार बनाये जाने के पूर्व ही अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क सुने जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य कर लिया गया है । चूंकि जिस समय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया गया है, उस समय आवेदकगण उनके समक्ष प्रचलित अपील में पक्षकार नहीं होकर अस्तित्व में नहीं थे, अतः उन्हें सुने जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । आवेदकगण पक्षकार बाद में बने हैं, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा के बिन्दु पर पुनः सुनवाई की जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे तकनीकी आधार नहीं उठाकर गुण–दोष पर अपना पक्ष रख सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर